

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,

लखनऊ – 226010

संख्या- २१ /०७/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2025-26/11-परीक्षा/2024

लखनऊ : दिनांक : ०६ फरवरी, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2023)/11 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 11-01-2026 को आयोजित की गयी थी।

तत्क्रम में उक्त लिखित परीक्षा की Provisional उत्तर कुंजी आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 06-02-2026 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 06-02-2026 को प्रकाशित Provisional उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने सम्बन्धी लिंक <https://examqp.com/upssscHealthWorkFv01/> पर जाकर निम्नलिखित चरण/प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं-

*Instructions being provided to the candidates for submitting Objections are as follows: -*

**INSTRUCTIONS IN ENGLISH**

**Kindly read the following instructions carefully before submitting objections:**

- 1- This portal provides you a platform to raise objections against the questions asked in 11-Exam/2024, Health Worker (Female) Main Examination (P.E.T.-2023)/11, conducted on 11 January 2026.
- 2- Objections can be raised against the provisional answer keys provided in the Master Question Paper published on Commission's website.
- 3- To submit objections, first Log into the Objection Window by entering your Roll number, Registration number, Date of birth, Captcha and then click 'Login' button. After this, "Instructions for Candidates" page will open.
- 4- Read the instructions carefully, select the checkbox and click "CONTINUE". Next, click on the "proceed to raise Question paper objection", then select the question against which the objection has to be raised and register your objection.
- 5- Candidates must register their objection by selecting their answer from the options provided in the objection window. Then after, candidate shall provide a description of the objection in the text box provided therein.
- 6- Candidates must upload the document supporting their objection in the form of pdf file (with a file size of less than 5MB).
- 7- Candidate can submit one or more than one objections and an objection fee of Rs. 100 per objection will need to be paid online for successful submission. To do this, Candidates will have to click on the "PAY NOW" button. Candidates can view the submitted objections by clicking on the "View/Print Objection Summary" button. They can also print the objection summary by clicking the print icon.
- 8- Once the payment process is completed successfully, no modifications will be allowed to the objections submitted.
- 9- Please note that the sequence of questions and their answers is based on the Provisional answer key published on the Commission's website.

-F

(ग्रीष्म)

8

10- Candidates can file objection online ONLY ONCE and through the link provided on the Commission's website within the specified time period. Objections sent through any other medium shall not be entertained.

आपत्तियाँ दर्ज करने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-

1. यह पोर्टल आपको दिनांक 11-01-2026 को आयोजित की गयी Advertisement No.-II-Exam/2024 Health Worker (Female) Main Examination (P.E.T. - 2023)/II के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियाँ दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
2. आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मार्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
3. आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए, सबसे पहले अपना रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, कौचा और इसके पश्चात 'Login' बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात "अभ्यर्थियों हेतु निर्देश" सम्बन्धी पेज प्रदर्शित होगा।
4. निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, चेकबॉक्स का चयन करें और "CONTINUE" पर क्लिक करें। इसके पश्चात, "proceed to raise Question paper objection" पर क्लिक करें, फिर उस प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करनी है, तत्पश्चात, आपत्ति दर्ज करें।
5. अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑफलाइन विंडो में दिए गए विकल्पों में से अपने उत्तर का चयन करना होगा। तत्पश्चात, अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा।
6. अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट, पी.डी.एफ. फाइल (जो 5 MB से कम आकार की हो) में अपलोड करना होगा।
7. अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए का आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा जिससे कि आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज हो सके। ऐसा करने के लिए, "PAY NOW" बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी "View/Print Objection Summary" बटन पर क्लिक करके अपनी दर्ज की गयी आपत्तियाँ देख सकते हैं। वे प्रिंट आइकन पर क्लिक करके दर्ज की आपत्तियों के विवरण का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।
8. भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
9. कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों का क्रम एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी के अनुसार हैं।
10. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ही मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजी गयी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी उपर्युक्त लिंक के माध्यम से ही Provisional उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा- डाक/प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में दी गयी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। सूच्य है कि आपत्ति दर्ज करने की अन्तिम तिथि 12-02-2026 है। उक्त तिथि के उपरान्त आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

8  
परीक्षा नियंत्रक,  
06/02/2026

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।

— (Signature)